भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2959

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026 / 22 श्रावण, 1948 (शक)

कामगारों पर एआई-सक्षम निगरानी का प्रभाव

2959. श्रीमती राजाथी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परिधान कारखानों में कामगारों की निगरानी किए जाने हेतु एआई-सक्षम पहनने योग्य कैमरों और निगरानी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संबंधी हाल की रिपोर्टों से अवगत है;

(ख) क्या मंत्रालय ने ऐसी निगरानी के कामगारों और उनकी निजता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे मामलों में कर्मचारियों की सूचित सहमति की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है; और

(घ) ऐसे मामलों में कामगारों के हितों एवं निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): "श्रम" समवर्ती सूची का विषय है। कारखानों सहित किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं और उससे जुड़े हुए या प्रासंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएच एण्ड डब्लूसी) के अनुसार, कारखानों के मामले में राज्य सरकार समुचित सरकार है। ओएसएच एण्ड डब्लूसी, 2020 दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने दिनांक 08.05.2026 को ओएसएच एण्ड डब्लूसी (केंद्रीय) नियम, 2026 भी अधिसूचित कर दिए हैं। ओएसएच एण्ड डब्लूसी संहिता, 2020 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं, शास्तियों और प्रक्रियाओं आदि से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं।

ओएसएच एण्ड डब्लूसी संहिता, 2020 नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, एक ऐसा कार्य वातावरण प्रदान करें और बनाए रखें जो सुरक्षित हो और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो। इसके अलावा, ओएसएच एण्ड डब्लूसी संहिता, 2020 समुचित सरकार को विनिर्दिष्ट स्थापनों या स्थापनों के वर्ग में सुरक्षा समिति गठित करने का भी अधिदेश करती है। कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा समिति में नियोक्ता और कर्मचारी का समान प्रतिनिधित्व होता है। कर्मचारियों के पास कार्यस्थल के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा सीधे नियोक्ता के समक्ष या सुरक्षा समिति के माध्यम से मुद्दे उठाने का अधिकार है।

कारखानों के मामले में, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और उसके अधीन बनाए गए नियमों को संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, ओएसएच एण्ड डब्लूसी संहिता, 2020 के अधीन अधिसूचित मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को कारखाने के नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।

*****